(बाह्य सम्पर्क अनुभाग)

मुम्बई, 26 अक्तूबर, 2004

का.आ. 2865.—परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 (1962 का 33) के खण्ड 27 द्वारा प्रदत्त शक्तियों तथा इस संबंध में अन्य सामर्थ्यकारी शक्तियों का प्रयोग करते हुए और दि. 20/06/2000 की अधिसूचना सं. 18/1(1)/2000-ईआर/2507 में आंशिक संशोधन करते हुए, राष्ट्रपति निदेश देते हैं कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित प्रौद्योगिकियों पर आधारित सभी परियोजनाओं/फैसिलिटीज/संयंत्रों के संबंध में उपरोक्त अधिनियम के तहत यथा उल्लिखित नियामक एवं संरक्षा कार्य, जिन्हें अन्ततः भाप केंद्र के अलावा अन्य संगठनों द्वारा क्रियान्वित किया जाना है, आगे से समय समय पर निदेशक, भाप केंद्र द्वारा किए गए विशेष अनुरोध के आधार पर, डिजाइन पुनरीक्षण चरण से लेकर आगे तक, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड (एईआरबी) द्वारा किया जायेगा।

[फा. सं. 18/1/4/2004-ईआर]

के. पद्मनाभन, अवर सचिव

(OUT CONTACT SECTION)

Mumbai, the 26th October, 2004

S.O. 2865.—In exercise of the powers conferred by Section 27 of the Atomic Energy Act, 1962 (33 of 1962) and all other powers enabling him in this behalf, and in partial modification of the Notification No. 18/1 (1)/2000-ER/2507 dated 20-6-2000, the President is pleased to direct that the regulatory and safety functions as envisaged under the said Act with respect to all the projects/facilities/plants based on technologies developed by the Bhabha Atomic Research Centre (BARC), which would eventually be operated by organisations other than BARC, shall henceforth be carried out by the Atomic Energy Regulatory Board (AERB) from the design review stage onwards, on the basis of specific requests from Director, BARC, from time to time.

[F. No. 18/1/4/2004-ER]

K. PADMANABHAN, Under Secy.